



असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. [474] No. 474] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 5, 2006/आश्विन 13, 1928 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 5, 2006/ASVINA 13, 1928

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सुचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2006

सा.का.नि. 619(अ).-केन्द्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी (नियंत्रक की सेवा-शर्ते) नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी (नियंत्रक की सेवा-शर्तें) संशोधन नियम, 2006 है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. सूचना प्रौद्योगिकी (नियंत्रक की सेवा-शर्ते) नियम, 2000 के नियम 5 में, ''सचिव'' शब्द के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर जहां वह आता है, ''अपर सचिव'' शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 2(4)/2000-पर्स-1 (जिल्द 2)]

एम. एम. नाम्बियार, अपर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 858(अ), तारीख 25-10-2000 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Information Technology)
NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2006

G.S.R. 619(E).—In exercise of the powers conferred by Section 87 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Information Technology (Conditions of Service of the Controller) Rules, 2000, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Information Technology (Conditions of Service of the Controller) Amendment Rules, 2006.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In rule 5 of the Information Technology (Conditions of Service of the Controller) Rules, 2000, for the word "Secretary" occurring at both the places, the words "an Additional Secretary" shall be substituted.

[F. No. 2(4)/2000-Pers.-I (Vol. II)]
M. M. NAMBIAR, Addl. Secy.

Foot Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide No. GSR 858(E), dated 25-10-2000.